न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 31 / 2021

जी.सी.एम.एस. : 2021 / 147

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल पुत्र कलाराम जाति कुम्हार, निवासी भगौडा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन ठिकाना तहसील कार्यालय मारवाड जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता दौलत मकवाना
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13-2-2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन के राजस्व प्रकरण संख्या 557 / 2020 सरकार बनाम चुनाराम में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2020 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम भगौडा तहसील मारवाड जंक्शन की सरहद में खसरा नम्बर 1021 में जोगमाया के मंदिर के पास अपीलार्थी व उसके परिवार का मालिकाना, पट्टाशुदा कब्जशुदा रहवासीय मकान मय बाडा स्थित है जिसके उत्तर में रामदेवजी की बगेची दक्षिण में जोगमाया का मंदिर पुर्व में नारायणसिंह की कृषि भुमि एवं पश्चिम में आम रास्ता एवं दरवाजा आया हुआ है। उपरोक्त पडोसीयों के बिच के मकान मय बाडा के दो अलग–अलग आंवटन विलेख संख्या 1496 एवं 1497 दिनांक 22.12.74 को आवंटन अधिकारी ग्राम पंचायत भगौडा द्वारा अपीलार्थी के सगे भाईयों काना एवं मोहनलाल पिसरान कलाजी जाति कुम्हार निवासी भगौडा के पक्ष में जारी किये गये। जिसमें अपीलार्थी के पिता कलाजी अपने परिवार सहित निवास करते थे। अपीलार्थी के पिता कलाजी ने अपीलार्थी के सभी भाईयों की सहमति से वादग्रस्त मकान मय बाडा के दो आवंटन विलेख अपीलार्थी के भाई काना एवं मोहनलाल के पक्ष में जारी करने हेतु सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये गये जिसके आधार पर आवंटन विलेख अपीलार्थी के भाई काना एवं मोहनलाल के पक्ष में वादग्रस्त मकान मय बाडा के दो आवंटन विलेख जारी किये गये। जिस पर आदिनांक तक रहवास उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। उक्त वादग्रस्त मकान मय बाडा दोनो एक ही परिसर में है जिसमें करीब 5 ट्रोली पत्थर 3000 ईटें बजरी एवं जलाउ लकडियां इत्यादि रखें हुए है उसी परिसर में कुलदेवता का मंदिर करीब 60 वर्षो से स्थापित है, जिसके उत्तर में करीब 20 फिट चौडी सी.सी. सड़क मौके पर उपलब्ध है। फिर भी रेस्पोडेण्ट तहसीलदार

अति. जिला कलक्टर, पाली

मा.ज. नारायणसिंह एवं उसके पुत्रों के साथ मिलीभगत कर जैर अपील आराजी से अपीलार्थी एवं उसके परिवार वालो को बेदखल करने पर आमादा है जबकि जैर अपील आराजी अपीलार्थी के सदस्यों की पट्टाशुदा मालिकाना काबिजाना भुमि है। फिर भी अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध लम्बे समय से धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कर जुर्माना वसुल किया जा रहा है, दिनांक 04.06.2021 को वादग्रस्त मकान मय बाडा से बेदखल करने हेतु पुलिस जाप्ता सहित नारायणसिंह वगैरा आये एवं धमकाते हुए खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवा कर कहा की जैर अपील आराजी के बिच से होकर सडक निकालेगें। जैर अपील आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा मालिकाना हक एवं पिछले 60–70 वर्षो से रहवास कर रहे है जिस पर लाईट के कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में फाईल लगा रखी है। अपीलाण्ट को मौजा भगौडा के खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर बाडा का अतिक्रमण किए जाने से टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मा0ज0 ने प्रकरण संख्या 557/2020 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर वह पेशी दिनांक 17.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। मातहत अदालत ने उसी दिवस अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानते हुए, अतिक्रमित आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना से भी दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, न ही जवाब पेश करने का अवसर दिया तथा न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत पेश करने का पुरा अवसर दिये जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट के पिता के समय से मकान एवं बाडा बना हुआ है, एवं पट्टाशुदा मालिकाना हक हैं अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी होते ही दिनांक 09.06.2021 को नकल हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 15.06.2021 को प्राप्त होते ही, अधिवक्ता से संपर्क कर न्यायालय में पेश की है, जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थी अधिववक्ता ने अपने पक्ष की ताईद के लिए न्यायिक दृष्टांत 2006 आरबीजे (13)पेज 291, 2002 आरबीजे (9)पेज 518, 2006 आरआरडी पेज 278 पेश किये।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जिस पर अपीलार्थी द्वारा बाडा मय मकान बना कर अतिक्रमण किया गया है, जो कि प्रतिबधित भुमि की श्रेणी में आता है, प्रार्थी यह स्पष्ट करने में भी असमर्थ रहे ही अप्रार्थी के पक्ष में जारी पटटे आबादी भुमि के ही है। अपीलार्थी से मातहत अदालत ने पुर्व में नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया था। जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट की उपस्थिति में उसके विरूद्ध जो आदेश पारित किया है, वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश दिनांक 17.12.2020 को

अति. जिला कलक्टर, पाली

पारित हुआ तथा अपीलाण्ट ने अपील दिनांक 15.07.2021 को पेश की है। अपील अपीलाण्ट को न्याय की दृष्टि से अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पटवारी हल्का भगोडा ने अपीलाण्ट द्वारा मौजा भगोडा के खसरा नम्बर 1021 रकबा 0.02 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ता पर मकान मय बाडा निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने से टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मा0ज0 के समक्ष पेश की, जिस पर तहसीलदार मा0ज0 ने प्रकरण संख्या 557/2020 दर्ज कर नोटिस जारी किया, जिस पर वह पेशी दिनांक 17.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, यह मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है। अपीलाण्ट के नाम विधिनुसार नोटिस जारी किया गया तथा उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट को जैर अपील आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाया गया है, जो पत्रावली संलग्न हल्का पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इससे यह जाहिर है कि अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर बाडे के रूप में अतिक्रमण है वर्तमान में भी मौजूद है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जैर आराजी के संबध जारी विक्रय विलेख संख्या 1496 एवं 1497 दिनांक 22.12.74 जारी होना बताया है एवं पिछले 60 वर्षो से कब्जा एवं परिवार सहित निवास होना बताया है। लेकिन पत्रावली के सलंग्न पट्टे की प्रति से यह ताईद नही होता है कि पट्टा संख्या 1496 एवं 1497 आबादी भुमि का जारी किया है। पट्टो में खसरा नम्बर का उल्लेख नही है सम्पुर्ण कार्यवाही गैर मुमकिन रास्ते की भुमि पर की गई है न की आबादी भुमि पर। जैर अपील आराजी से संबधित भुमि का खसरा कभी आबादी मे रहा हो इसका कोई साक्ष्य अपीलाण्ट अधिवक्ता ने पेश नही किया। अपीलाण्ट के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही विधिवत व नियमानुसार की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, बलहीन एवं औचित्यहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार मारवाड जंक्शन के प्रकरण संख्या 557/2020 बअनवान सरकार बनाम चुनाराम में पारित निर्णय दिनांक 17.12.2020 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार मारवाड जंक्शन को निर्णय की प्रति साथ उनके न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली